Hindi-V2.pdf 1 18/01/2014 11:42 AM

पुलिस द्वारा हस्तक्षेप
(Intervention by Police)

घरेलू हिंसा से सम्बंधित सभी शिकायतों व प्रतिवेदन को नियंत्रित व निरीक्षण हाँग-काँग पुलिस बल द्वारा किया जाएगा। सामान्य परिस्थितियों में रिपोर्ट पुलिस हॉट लाइन 2527 7177 पर फोन कर किसी भी पुलिस स्टेशनों पर की जा सकती है या फिर सीधे पुलिस अधिकारी को शिकायत की जा सकती है। आपातकालीन स्थिति में, सार्वजनिक हॉट लाइन "999" में मदद के लिए डायल कर सकता है। पीड़ितों और सूचना देने वालों के बारे में जानकारी को गोपनीय रखा जाएगा।

कोई भी व्यक्ति जो किसी को भी, जिसमे जीवनसाथी / सहवासी सम्मिलित है, गंभीर नुकसान पहुंचाता है या ऐसी धमकी देता है, अपराध अध्यादेश (दफा 200) और व्यक्ति के खिलाफ अपराध अध्यादेश (दफा 212) के अनुसार अपराध करने के लिए दोषी होगा एवं कैद के लिए उत्तरदायी होगा।

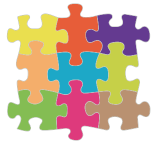

नैदानिक मनोवैज्ञानिक एकांश
(Clinical Psychological Service)

SWD के मनोवैज्ञानिक एकांशों में नैदानिक मनोवैज्ञानिक पीड़ितों, अत्याचारियों और/या उनके बच्चों में मनोवैज्ञानिक समस्याएं देखी जाती हैं। उनका रोग निर्धारण करते हैं और उन्हें चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते हैं। सभी SWD एकांशों से सिफारिशें स्वीकार की जाती हैं। अलग-अलग व्यक्तिगत मामलों की परिस्थिति में नैदानिक मनोवैज्ञानिक अपने ग्राहकों को व्यक्तिगत या समूह में मानसिक चिकित्सा प्रदान करते हैं, जो उनके जीवनसाथी/सहवासी के साथ मारपीट के कारण उत्पन्न हुई मनोवैज्ञानिक समस्याओं का प्रबंधन करने में सहायक होती है। तलाक के मामलों के लिए नैदानिक मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन, हिरासत, अभिगमन और/या बाल देखभाल सम्बंधित अदालत के मुद्दों पर विशेष राय प्रदान करते हैं।

वित्तीय सहायता
(Financial Assistance)

यह व्यापक सामाजिक सुरक्षा सहायता (Comprehensive Social Security Assistance (CSSA) Scheme) योजना जरुरतमंद लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान के लिए बनायी गयी हैं। इसके लिए पात्र होने के लिए आवश्यक है कि निवेदक कम से कम सात साल से हाँग-काँग में रह रहा हो। विशिष्ट परिस्थतियों में समाज कल्याण निदेशक के विवेक अनुसार ऐसे किसी CSSA निवेदक को भी मदद दी जा सकती है, जो निर्धारित आवास आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता। CSSA आवेदन के लिए सामाजिक कार्यकर्ता या SWD के सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र इकाइयों से संपर्क कर सिफारिश के माध्यम से किया जा सकता है।

सदयशील पुनर्वास
(Compassionate Rehousing)

सदयशील पुनर्वास एक प्रकार की आश्रय सहायता है, जिससे उन व्यक्तियों और परिवारों की मदद की जाती है जिन्हें असल में और शीघ्र आश्रय की जरुरत है परन्तु वे स्वयं इसे पूरी नहीं कर सकते। इस योजना के अंतर्गत उन लोगों की मदद करने के लिए उन्हें सशर्त किरायदारी की भी सलाह दी जा सकती है, जिनके तलाक की कार्यवाही चल रही है (मारपीट का शिकार जीवनसाथी/सहवासी भी सम्मिलित हैं) एवं उन्हें अदालत के निर्णय की प्रतीक्षा करते हुए वास्तविक आवास की आवश्यकता है। जिन लोगों को इस सेवा की आवश्यकता हो वे सम्बंधित समाजसेवक इकाई से सदयशील पुनर्वास के लिए निवेदन कर सकते हैं।

कानूनी सहायता सेवा
(Legal Aid Service)

जीवनसाथी/सहवासी द्वारा मारपीट के मामलों में पीड़ित व्यक्ति जो दीवानी/कानूनी अपील करना चाहते हैं, वे LAD न्यायिक सहायता के लिए निवेदन कर सकते हैं। पीड़ित जीवनसाथी/सहवासी अदालत से निषेधाज्ञा आदेश ले सकता/सकती है। मारपीट का शिकार जीवनसाथी/सहवासी जिसने तलाक लेने का निर्णय ले लिया है, वह उसी समय तलाक की कार्यवाही शुरू कर सकता/सकती है। कानूनी सहायता के योग्य होने के लिए पीड़ितों को माध्यम व योग्यता परीक्षा, दोनों में सफल होना होगा। निषेधाज्ञा के निवेदन हेतु अत्यावश्यक कानूनी सहायता के अनुप्रयोग के लिए एल ए डी माध्यम परीक्षा व बयान लेने के लिए जल्द से जल्द एक साक्षात्कार की व्यवस्था करेगा।

मारपीट के शिकार जीवनसाथी/सहवासी से सम्बंधित मामलों के लिए सहायता सेवाएं

Support Services to SPOUSE / COHABITANT BATTERING CASES

Hindi
February 2014

社會福利署
Social Welfare Department

Hindi-V2.pdf 2 18/01/2014 11:42 AM

हाँग-काँग में सेवाओं की एक श्रृंखला में पीड़ितों (अपनी उम्र, लिंग, यौन अभिविन्यास, जाति की परवाह किये बिना), अत्याचारियों या मार-पीट के शिकार जीवनसाथी / सहवासी मामलों वाले परिवारों को समाज कल्याण विभाग (Social Welfare Department - SWD), गैर-सरकारी संस्थानों (non-governmental organisations - NGOs), पुलिस, कानूनी सहायता सेवा (Legal Aid Department - LAD), इत्यादि द्वारा विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

परिवार व बाल सुरक्षा सेवा इकाइयां
(Family and Child Protective Services Units – FCPSUs)

SWD परिवार व बाल सुरक्षा सेवा इकाइयाँ वे विशिष्ट इकाइयाँ हैं, जहाँ पर वे समाज सेवक काम करते हैं जो पीड़ितों, अत्याचारियों और बाल शोषण या जीवनसाथी/सहवासी के साथ हिंसा के मामलों से सम्बंधित परिवारों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं। इन मामलों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए, समाज सेवक पहुँच सेवा, सामजिक निरिक्षण, संकट के समय मध्यस्थता, मामले के सम्बन्ध में परामर्श और समूह (सामूहिक) इलाज (उपचार) प्रदान करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर, वितीय सहायता, आवास, कानूनी सहायता, मनोवैज्ञानिक सेवा और स्कूली शिक्षा आदि के लिए भी सिफारिश की जायेगी। इसके अतिरिक्त, अभिभावक या संरक्षकता के झगड़ों से प्रभावित बच्चों के हितों की रक्षा करने के लिए FCPSUs न्यायालय के आदेश अनुसार सामाजिक निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करेंगे एवं अदालत के आदेशानुसार बच्चों के लिए सांविधिक निगरानी भी प्रदान करते हैं।

एकीकृत परिवार सेवा केंद्र
(Integrated Family Service Centres - IFSCs)

SWD द्वारा चलाये जा रहे एकीकृत परिवार सेवा केंद्र एवं आर्थिक सहायता करने वाले NGOs एक विशिष्ट इलाके के व्यक्तियों एवं परिवारों के लिए, उनके विविध कल्याण एवं जरूरतों का समाधान करने के लिए सेवाओं की एक विस्तृत श्रेणी प्रदान करते हैं। इसमें एक परिवार संसाधन इकाई, एक परिवार सहायता इकाई और एक परिवार परामर्श इकाई शामिल है। सेवाएं जिनमे, पारिवारिक जीवन शिक्षा, माता पिता व बच्चों की गतिविधियाँ, जानकारी (पूछताछ) सेवा, स्वयं सेवक प्रक्षिक्षण, पहुँच सेवा, आपसी सहायता समूह के लिए परामर्श, जरूरतमंद व्यक्तियों एवं परिवारों के लिए विस्तृत समय तक सिफारिश करने की सेवा भी सम्मिलित हैं।

चिकित्सा सामाजिक सेवाएं
(Medical Social Services)

औषधीय (चिकित्सा) समाज सेवकों को घरेलू हिंसा के मामलों के विषय में जानकारी सार्वजनिक अस्पतालों, कुछ विशेष बहिरंग रोगी चिकित्सालयों में काम कर रहे अस्पताल कर्मचारियों, पुलिस या अन्य संस्थानों के माध्यम से और रोगियों या उनके परिवारों द्वारा प्रत्यक्ष संपर्क से प्राप्त होती है। चिकित्सा समाज सेवक पारिवारिक हिंसा के शिकार लोगों और उनके परिवार के सदस्यों के कल्याण की जरुरत के आधार पर परामर्श, वास्तविक सेवाएं, पुनर्वास सेवा की सिफारिश एवं सामुदायिक संसाधन इत्यादि की व्यवस्था करते हैं।

पारिवारिक हिंसा के शिकार पीड़ितों के लिए पीड़ित सहायक कार्यक्रम
(Victim Support Programme for Victims of Family Violence)

समाजसेवकों के सहयोग से पारिवारिक हिंसा के पीड़ितों के लिए Po Leung Kuk Tsui Lam सेंटर पीड़ित सहायक कार्यक्रम का प्रबंध सभी क्षेत्रों/राज्यों/प्रदेशों में करता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कानूनी कार्यवाही के दौर से अथवा जीवन में अचानक आये परिवर्तन का सामना कर रहे लोगों में लाचारी की भावना को कम कर उन्हें जानकारी, भावनात्मक समर्थन और अनुरक्षण प्रदान करता है। आप इस सेवा के लिए अपने सामाजिक कार्यकर्ता से संपर्क कर सकते हैं।

अस्थाई आवास सेवाएं
(Temporary Accommodation Services)

महिलाओं के लिए शरण केंद्र
(Refuge Centres for Women)

हाँग-काँग में महिलाओं के लिए पांच शरण केंद्र हैं, इनके नाम हैं – Wai On होम फॉर वीमेन, हारमोनी हाउस Harmony House, सीरीन कोर्ट Serene Court, सनराईस कोर्ट Sunrise Court और डॉन कोर्ट Dawn Court। यह उन महिलाओं और उनके बच्चों को अस्थाई आवास और सहायता सेवाएँ प्रदान करते हैं जो घरेलू हिंसा से खतरा या संकट का सामना कर रहे हैं। जिन महिलाओं को सेवा की जरुरत की आवश्यकता होती है, समाज सेवक की सिफारिश से उनके प्रवेश के निवेदन 24 घंटे स्वीकार किये जाते हैं। शरण स्थलों के पते गुप्त रखे जाते हैं।

बहु प्रयोजन संकट हस्तक्षेप और सहायता केंद्र (संघर्ष संकट केंद्र)
(Multi-purpose Crisis Intervention and Support Centre) (CEASE Crisis Centre)

संघर्ष संकट केंद्र, जो Tung Wah Group of Hospitals द्वारा संचालित है, एक ऐसी संकट हस्तक्षेप और समर्थन सेवा है, जिसका उद्देश्य यौन हिंसा के वयस्क पीड़ितों एवं घरेलू हिंसा का सामना कर रहे परिवारों को व्यापक समर्थन प्रदान करना है। 24 घंटे हॉट लाइन, संकट हस्तक्षेप/यौन हिंसा और बड़ों द्वारा किये गए अनुचित व्यवहार के शिकार वयस्क पीड़ितों के लिए तत्काल पहुँच सेवा, पीड़ित अथवा संकटग्रस्त व्यक्तियों एवं परिवारों के लिए, जो अस्थाई रूप से घर लौटने के लिए उपयुक्त नहीं हैं, अल्पकालिक आवास एवं अन्य आवश्यक सेवाओं के सिफारिश प्रदान करने जैसी सेवाएँ सम्मिलित हैं।

परिवार संकट सहायता केंद्र
(Family Crisis Support Centre - FCSC)

Caritas – Hong Kong द्वारा संचालित परिवार संकट सहायता केंद्र (एफ़ सी एस सी) का उद्देश्य संकट या चिंता में आये व्यक्ति एवं परिवारों को तथा आरंभिक अवस्था में ही परिवारों में आये संकट से निपटने के लिए एकीकृत और आसानी से सुलभ सेवाओं का पैकेज की सहायता प्रदान करना है। सेवाओं में 24 घंटे हॉट लाइन सेवा, अल्पकालिक आपातकालीन हस्तक्षेप एवं सारी रात के लिए आवास, अस्थाई आश्रय और अन्य सहायता सेवाएँ शामिल हैं। एफ़ सी एस सी प्रत्यक्ष सामाजिक कल्याण एजेंसियों या सामुदायिक संगठनो को स्वीकार करता है।

हॉट लाइन सेवाएँ
(Hotline Service)

घरेलू हिंसा के शिकार लोग SWD हॉट लाइन (2343 2255) के माध्यम से सामाजिक कल्याण सेवाओं के बारे में एवं समर्थन सेवा सम्बंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और समय पर परामर्श ले सकते हैं। SWD हॉट लाइन 24 घंटे के आधार पर चल रही है। निर्दिष्ट समय/घंटों के दौरान प्राप्त कॉल SWD हॉट लाइन समाज सेवकों द्वारा एवं निर्दिष्ट घंटों के बाद प्राप्त कॉल हॉट लाइन एवं पहुँच सेवा टीम के समाज सेवकों द्वारा नियंत्रित एवं स्थानांतरित की जाती है, जो तुंग वाह अस्पताल समूह द्वारा संचालित है।